राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांकः प.1 (2) (5)/डीएमई/19/ 1090 दिनांकः 07.3.2019.

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग राज0 सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(6)प्रसु/अनु–3/2017 दिनांक 14.02.2019 की अनुपालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड–।। संयुक्त परीक्षा, 2013 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/– प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से निम्न अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	प्रवर्ग	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	जन्म तिथि	विवरण
1	श्री विकास शर्मा	श्री सतीश कुमार शर्मा	GENM	100	262911	23.01.1983	Reserve List
2	श्री श्याम खण्डेलवाल	श्री लक्ष्मीनारायण	GENM	269	185206	08.09.1983	Reserve List
3	श्री सुधीर मोहन शर्मा	श्री रामप्रकाश शर्मा	GENM	392	169564	03.07.1992	Reserve List
4	श्री समरथ शर्मा	श्री शंकर लाल शर्मा	GENM	411	221750	02.04.1990	Reserve List
5	श्री संतोष कुमार शर्मा	श्री रामेश्वर लाल शर्मा	GENM	429	250984	21.05.1988	Reserve List
6	श्री रामअवतार शर्मा	श्री राधेश्याम शर्मा	GENM	518	148096	05.03.1994	Reserve List
7	श्री ओम प्रकाश शर्मा	श्री बद्री प्रसाद शर्मा	GENM	564	222991	07.08.1989	Reserve List
8	श्री महेन्द्र चौहान	श्री छीतर नाथ	OBCM	758	179396	15.09.1992	Reserve List
9	श्री धर्मपाल जाट	श्री कजोडमल जाट	OBCM	777	119191	16.06.1989	Reserve List
10	सुश्री नीतू शेखावत	श्री सरदार सिंह शेखावत	GENF	2480	253515	22.10.1990	Reserve List

(केवल 10 अभ्यार्थी)

उक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:–

1. उक्त नियुक्ति डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.2018 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.04.2018 को घोषित परिणाम तथा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 11497/2017 धारा सिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2017 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं

राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अनुसूची–4 के नियम 16 के सम्बन्धित लेवल एल–5 के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remunation) रू. 14, 600/– प्रतिमाह के दर से देय होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

3. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक (क्लर्क ग्रेड–II) के नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सर्वेसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची प्रथम, पार्ट बी के नियम–5 (vi) और (vii) के पे–मैट्रिक्स के अनुसार लेवल एल–5 के सेल नम्बर–1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होगें।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (फिक्स पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
5. उक्त नियुक्तियाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11 (204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअति/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. राज्य सरकार के परिपत्र प.13(1)वित्त (नियम)/2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अशंदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होगें। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इनके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. राजथान सिविल सिर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 की अनुसूची–4 के नियम 16, नोट क्रमांक–4 के अनुसार प्रतिवर्ष 15 आकस्मिक अवकाश देय होगें।
8. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नही होगें।
9. परीवीक्षा काल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 07 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये, अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार सभालेगें। कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ती प्रमाण पत्र एवं गत् भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम–10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों / परिपत्रों / आदेशों के अन्तर्गत शासित होगीं एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश / परिपत्र / आदेश लागू होगें।

14. सम्बन्धित अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का अधिकार राज्य सरकार / विभाग के पास सुरक्षित रहेगा अर्थात नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी।

15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।

16. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनायें एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज / सूचना, असत्य / फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।

17. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ / कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से जारी मैरिट सूची के आधार पर ही होगा।

18. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। उक्त अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

19. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

शासन सचिव एवं आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1 (6) प्रसु / अनु.–3 / 2017 दिनांक 14.02.2019 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा 13 चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस विभाग को आवंटित की गई थी किन्तु उनमें से 03 अभ्यर्थियों द्वारा लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अन्य सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप उक्त सेवा ज्वाईन नहीं करने में असमर्थता व्यक्त की है, फलस्वरूप उपरोक्त 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। शेष 03 अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र निर्देशानुसार पृथक से भेजे जा रहे हैं तथा ज्वाईन करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना भी पृथक से भेज दी जावेगी।
2. निजी सचिव–शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. उप निदेशक(एकेडमिक) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी का पता ....को सूचनार्थ।
7. व्यक्तिगत पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (प्रशासन) एवं
पदेन शासन उप सचिव